अपील सूचना अधिकार संख्या 06/2018 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपपंजीयक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13–03–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपंजियक श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। उपपंजियक श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रतिवेदन संख्या 170 दिनांक 05.03.2018 शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2017 के द्वारा उप पंजीयक श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. **श्रीमति गंगादेवी पत्नि श्री भगवानदास द्वारा दिनांक 11.04.2000 को वसीयत केन्सल की प्रमाणित प्रति।**
2. **प्रस्तुतकर्ता का नाम व पति का नाम की व अंगूठा निशान जो प्रस्तुत कर्ता के नाम के सामने बाई तरफ लिखा हुआ है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।**
3. **वसीयत केन्सल करवाते समय उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित गवाह के नाम व पते की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
4. **वसीयत केन्सल के दिन उप पंजीयक का नाम व वर्तमकान में जिस स्थान पर निवास करते है उसका पता व पते की प्रमाणित प्रति।**
5. **वसीयत केन्सल करवाने वाले दिन 11.04.2000 को दर्ज करने वाले कर्मकार व कैशियर का नाम व पद की सूचना जिसने वसीयत निरस्त करवाने बाबत राशि/शुल्क प्राप्त कर रसीद काट कर वसीयत निरस्त करने वाले को दी।**

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उप पंजीयक श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 170 दिनांक 05.03.2018 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा पत्र सं0 37 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।

उप पंजीयक श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 37 दिनांक 12.01.18 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

1. **दिनांक 11.04.2000 की वसीयत की प्रमाणित प्रति सलंग्न है।**

2.3. **दस्तावेज में वसीयत निरस्त करवाने वाले का नाम व गवाहो का नाम अंकित है।**

4. **वसीयत कैंसिल के दिन श्री हजारी लाल, उप पंजीयक के पद पर कार्यरत थे जो सेवानिवृत्त हो चुके है।**
5. **दिनांक 11.04.2000 को कैशियर का कार्य श्री लाभ सिंह द्वारा संपादित किया जाता था जो सेवानिवृत्त हो चुके है। जिनका वर्तमान पता कार्यालय में संधारित नही किया जाता है।**

शाखा
जिला कलैक्टर

चूंकि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा चाही गई 5 बिन्दुओ की सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 37 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा उक्तानुसार बिन्दुवार उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा भी उपस्थित आकर कोई आक्षेप प्रस्तुत नही किया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। वैसे भी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के कार्यालय से है। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को न होकर बल्कि संबंधित उप महानिरीक्षक पंजियन एवं मुद्रांक विभाग को है। यदि अपीलार्थी, उप पंजीयक श्रीगंगानगर के द्वारा उसे उपलब्ध करवाई गई उक्त सूचना से सन्तुष्ट नही है तो वह उप पंजीयक श्रीगंगानगर के विरूद्ध संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील इस न्यायालय में संधारण योग्य नही होने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर